पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

परिपत्र / CIRCULAR-LETTER

मार्च 23, 2023
March 23, 2023

File No.: PFRDA/03/05/1/0038/2017-PnD-APY

विषय : APY के तहत खाता खोलने और निरंतरता बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि
Subject : Account opening and Persistency Incentive under APY

महोदय / महोदया,
Dear Sir/Ma'am,

यह अपार हर्ष का विषय है कि अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पंजीकरणों की संख्या हाल ही में 5.17 करोड़ से ज्यादा हो गयी है। इन 5.17 करोड़ पंजीकरणों में से लगभग 1.16 करोड़ APY अभिदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में ही पंजीकृत हुए हैं।

It gives me immense pleasure to share that the enrolments under Atal Pension Yojana (APY) have crossed 5.17 crore recently. Out of these 5.17 crore enrolments, around 1.16 crore APY subscribers have been enrolled in the current Financial Year 2022-23 only.

यद्यपि, PFRDA द्वारा यह पाया गया है कि कुछ APY खाते बिना किसी प्रारंभिक अंशदान के भी खोले गए हैं (इन्हें *NIL Credit PRAN* कहा जाता है)। इस योजना के तहत अधिक से अधिक नए खातो के खोलने की महत्ता के साथ ही इन खातों में पर्याप्त रूप से वित्तपोषण भी सुनिश्चित करना जरूरी है क्योंकि बैंक कर्मियों के बहुत प्रयासों से खोले गए इन NIL Credit APY खातो के लिए बैंकों को कोई प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होती है।

However, it has been observed by PFRDA that there are APY accounts opened without any initial contribution (*termed as NIL Credit PRANs*). While it is important to ensure more and more new enrolments under the scheme, it is also necessary to ensure that these APY accounts are adequately funded as sourcing such NIL credit APY accounts are not eligible for any incentive to the Banks despite of so much of efforts by bank officials.

तदनुसार, APY-SPs को यह सलाह दी जाती है कि वे उपस्थिति अस्तित्व (POPs) द्वारा पालन किए जाने वाले परिचालन गतिविधियों के दिशानिर्देशों (दिनांक 23 दिसंबर, 2021; 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) का अनुपालन सुनिश्चित करें । विशेष रूप से अनुसूची 1 ((PoPs-APY

Accordingly, APY-SPs are advised to adhere to the Guidelines for Operational Activities to be followed by Point of Presence (*dated December 23, 2021; effective from April 1, 2022*), specifically the point no. 2-a i.e. Collection and processing of initial

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517501, 26517503, 26133730, फैक्स : 011–26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, 26133730, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हेतु सेवा-मानक) के बिंदु संख्या 2-a का जो की प्रारंभिक अंशदान के संग्रह और प्रसंस्करण से सम्बन्धित है । इन दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना APY-SP की जिम्मेदारी है कि जिन अभिदाताओं के APY खाते खोले/सक्रिय किए जा रहे हैं, उनसे संबंधित बचत बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2022-2023 समाप्त हो रहा है, अतः वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर विशेष रूप से पंजीकरण फाइलों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रोटियन सीआरए प्रणाली 31 मार्च, 2023 को रात्रि 11.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। 1 अप्रैल 2023 (शनिवार) और 2 अप्रैल 2023 (रविवार) को बैंक अवकाश होने के कारण तथा बैंकों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मार्च 2023 की APY अंशदान फ़ाइलों को 3 अप्रैल, 2023 तक बिना अर्थदंड/ODI के अपलोड करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।

इससे बैंकों को वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे APY खातों के खोलने के लिए भी खाता प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिनके अंशदान 3 अप्रैल, 2023 तक अपलोड किए गए हों। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक सृजित किए गए PRANs के लिए निरंतरता प्रोत्साहन राशि वित्त वर्ष 2023-24 में देय होगी । इस उद्देश्य से, परवर्ती अंशदानों के SCF मिलान और उन्हें दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2023 होगी।

उक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंकों और PCRA से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त/उपरोक्त निर्देशों पर ध्यान दें और उल्लिखित समय-सीमा का अनुपालन करें।

contributions of Schedule I: Service Standard for PoPs-APY. As per these guidelines, it is the responsibility of the APY-SP to ensure that the subscribers whose APY accounts are being opened/activated have sufficient balances in their respective savings bank accounts.

As Financial Year 2022-2023 is nearing completion, therefore, in order to facilitate upload of registration files especially on the last working day of the Financial Year, Protean CRA system will remain available till 11.00 PM of March 31, 2023. Considering Bank holiday on April 1,2023 (Saturday) and April 2, 2023 (Sunday) and requests from banks, it has been decided to allow upload of APY contribution files of March 2023 without penalty/ODI, not later than April 3, 2023.

This will also help Banks in receiving Account opening incentive for APY accounts sourced in FY 2022-23 whose contributions are uploaded by April 3, 2023. Further, the persistency incentive for the PRANs opened till 31st March 2022 will be payable in FY 2023-24. For this purpose, the cutoff date for SCF match & book of the subsequent contributions shall be April 15, 2023.

Keeping in view the above, the Banks and PCRA are requested to take note of the same and adhere to the mentioned timelines.

आशीष कुमार / Ashish Kumar
(मुख्य महाप्रबन्धक / Chief General Manager)

प्रति / To,
सभी एपीवाई-एसपी और प्रोटियन सीआरए / All APY-SPs and Protean CRA